न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार मीना आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर – 36/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. धर्मराज पुत्र कैलाश
2. नरसी पत्नि रामखिलाड़ी
3. बत्तीलाल पुत्र गंगाधर
4. महेश पुत्र रामखिलाड़ी
5. रूगनी पत्नि कैलाश
6. रमेश पुत्र गंगाधर
7. सीताराम पुत्र रामखिलाड़ी जाति मीना निवासी भावड़ तहसील बरनाला

–प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बरनाला

--अप्रार्थी

वकील प्रार्थी – श्री विजय सिंह गुर्जर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 11-6-25

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 300 रकवा 0.23 है0, 308 रकबा 0.72 है0, 309 रकबा 0.16 है0, 321 रकवा 0.26 है0 690 रकवा 0.09 है0, जिनका नया खाता संख्या 208 व पुराना खाता संख्या 197 है, स्थित ग्राम भावड़ तहसील बरनाला है प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित भूमि की प्रार्थीगण ने सुरक्षा हेतु मिट्टी की डोलमेड़ बनाई हुई है बरसातों में डोलमेड़ के नष्ट हो जाने के कारण आसपास के काश्तकारों से आये दिन सीमा को लेकर विवाद होता रहता हैं उपरोक्त वर्णित भूमि वर्तमान कृषि भूमि है इस कारण आसपास के पड़ौसी को सीमा को लेकर काश्त के समय विवाद करते है तथा प्रार्थीगण को परेशान करते है इस कारण उक्त भूमि का प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान भी करवाया जा चुका है। किन्तु उसके वाबजूद भी आस पड़ौसी कृषक प्रार्थीगण को परेशान करते है। प्रार्थीगण सीधे सादे गरीब कृषक है, तथा इसी का फायदा उठाकर आसपास के पड़ौसी कृषक प्रार्थीगण की भूमि को दबाने को उतारू है जिसका कि उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 02.05.2025 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी बावत् निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि हमे कोर्ट से आदेश लेकर आओ तभी तुम्हारा काम होगा इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्ययक हुआ। उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिससे किसी दीगर व्यक्ति का कोई सरोकार या वास्ताा नहीं है। किन्तु उसके बावजूद भी आस पास के लोग प्रार्थीगण को सीधे सादे गरीब कृषक होने के कारण परेशान कर रहे हैं इस कारण न्याय हित में यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण की भूमि की

Scanned with CamScanner

पत्थरगढी की जावे ताकि भविष्य में विवाद से बचा जा सके व प्रार्थी की भूमि की रक्षा हो सकें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 300 रकबा 0.23 है0, 308 रकबा 0.72 है0, 309 रकबा 0.16 है0, 321 रकबा 0.26 है0 690 रकबा 0.09 है0, जिनका नया खाता संख्या 208 व पुराना खाता संख्या 197 है, स्थित ग्राम भावड़ तहसील बरनाला प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर पत्थरगढ़ी के आदेश पारित फरमाये जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी की और से अपने खाते की नकल जमाबंदी एवं तहसीलदार बरनाला की ओर से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम भावड़ पटवार मण्डल भावड़ भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र बिछौछ तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 300 रकबा 0.23 है0, 308 रकबा 0.72 है0, 309 रकबा 0.16 है0, 321 रकबा 0.26 है0 690 रकबा 0.09 है0, जिनका नया खाता संख्या 208 व पुराना खाता संख्या 197 है, स्थित ग्राम भावड़ तहसील बरनाला स्थित भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम भावड़ पटवार मण्डल भावड़ भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र बिछौछ तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 300 रकबा 0.23 है0, 308 रकबा 0.72 है0, 309 रकबा 0.16 है0, 321 रकबा 0.26 है0 690 रकबा 0.09 है0, जिनका नया खाता संख्या 208 व पुराना खाता संख्या 197 है, स्थित ग्राम भावड़ तहसील बरनाला भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0 अ0 निरीक्षक बिछौछ को 1000/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक बिछौछ जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बरनाला को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11-6-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास (सवाई माधोपुर)

Scanned with CamScanner